



क.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
**(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)**  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
**(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)**



सत्यमेव जयते

आदर्श अस्पताल बापूनगर, हरदासनगर पुलिस चौकी के पास,  
बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात – 380024  
MODEL HOSPITAL BAPUNAGAR, NEAR HARDASNAGAR  
POLICE CHOWKI, BAPUNAGAR, AHMEDABAD - 380024  
PHONE: 079-22772587 Email: [ms-bapunagar.gj@esic.nic.in](mailto:ms-bapunagar.gj@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in)

### सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक सूचना, आम जनता, संबंधित रोगियों, रोगियों के कानूनी प्रतिनिधियों सहित एवं सभी संबंधितों को सूचित करने के लिए है कि, क.रा.बी.नि. आदर्श चिकित्सालय, बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात, अपनी वीडिड आउट नीति के रूप में 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2021 के अपने चिकित्सालय में दाखिल किए गए मरीजों के चिकित्सा अभिलेखों को नष्ट करने के विचाराधीन है | जिन उपस्थित चिकित्सा अभिलेखों को नष्ट करने का विचार है, उनमें विभिन्न प्रवेश फाइले, सहमति, प्रक्रिया आदि शामिल है, जिन्हें क.रा.बी.नि. मुख्यालय के परिपत्र संख्या U-16/30/232/2013 Pro.Cell(SST)/Pro. Cell(SST)/Maha./ Wup, दिनांक-09/05/2019 के अनुसार बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

पुराने अभिलेखों को नष्ट करना क.रा.बी.नि. मुख्यालय द्वारा अपने उपरोक्त दर्शाए परिपत्र में निर्धारित चिकित्सा अभिलेख के प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

यह सूचित किया जाता है कि, आम जनता, संबंधित रोगियों, रोगियों के कानूनी प्रतिनिधियों सहित एवं सभी संबंधितों या किसी प्राधिकारी के मामले में,

- . इनमें से किसी भी अभिलेख की एक प्रति चाहता है या,
- . उसमें निहित किसी भी जानकारी की आवश्यकता है या,
- . इन अभिलेखों की साग्रगी में कोई भी हिस्सेदारी/ हित जो भी हो या भविष्य में ऐसी कोई हीसेदारी/हित धारण करने की संभावना है |

वह, इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के भीतर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, क.रा.बी.नि. आदर्श चिकित्सालय, बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात में संबंधित अभिलेखों के विवरण का उल्लेख करते हुए आपत्ति दर्ज कर सकता है।

यदि उपरोक्त 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उपयुक्त अभिलेखों को 07/09/2025 के बाद किसी भी तारीख को तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा। इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के बाद मामले के सबन्ध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक : ..../.../2025

स्थान: अहमदाबाद, गुजरात

चिकित्सा अधीक्षक

क.रा.बी.नि.आदर्श अस्पताल, बापूनगर, अहमदाबाद